

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-85/आ0प्र0, दिनांक-28.02.2017 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि-लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड-N2245021010003 मद में कुल मो0-8,00,000/- (आठ लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन को अंचल अधिकारी, मुरलीगंज एवं गम्हरिया को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नवत् उपावृत्ति किया जाता है :-

क्र0 सं0	उपावृत्ति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावृत्ति की गई राशि	वर्तमान में उपावृत्ति की राशि	कुल उपावृत्ति राशि
1	2	3	4	5
01	अंचल अधिकारी, आलमनगर	24,00,000.00	0.00	24,00,000.00
02	अंचल अधिकारी, चौसा	8,00,000.00	0.00	8,00,000.00
03	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	4,00,000.00	4,00,000.00	8,00,000.00
04	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	4,00,000.00	0.00	4,00,000.00
05	अंचल अधिकारी, पुरैनी	4,00,000.00	0.00	4,00,000.00
06	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	0.00	4,00,000.00	4,00,000.00
	कुल-	44,00,000.00	8,00,000.00	52,00,000.00

(मो0-आठ लाख रुपये) मात्र

उपावृत्ति की शर्तें :-

- (1) यह आवंटन (1) मृतिका-मनिया देवी, अंचल-गम्हरिया एवं (2) मृतक-सुरेन कुमार, अंचल-मुरलीगंज का अग्निकांड से हुई मृत्यु पश्चात् उनके आश्रितों को अनुदान भुगतान हेतु निर्गत किया जा रहा है।
- (2) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि-लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड-N2245021010003 मांग संख्या-39 युनिट कोड 31 02 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (3) उपावृत्ति राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावृत्ति किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

- (4) आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक-15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (5) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष -लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (6) उपरोक्त उपावटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय होने वाली के लिए तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "800-आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।
- (7) आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1642/आ0प्र0 दिनांक-22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (8) यदि उपरोक्त उपावटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक :.....87...../ आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक :.....01...../03...../2017

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी,
मधेपुरा।